दिनांक 14.05.2018 को 12.30 बजे अपराह्न में कृषि विभाग विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की उपसमिति–II की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिनांक 31.03.18 तक Poultry Units के अन्तर्गत 127134 लाख रूपये लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या 4864 एवं राशि 26129 लाख रूपया है जो लक्ष्य की तुलना में 20.55% है। निदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि लेयर फार्म के स्थापना के अन्तर्गत कुल 12 आवेदन बैंकों में लम्बित है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा लम्बित आवेदनों की सूची एस० एल० बी० सी० को ईमेल slbc.bihar@sbi.co.in पर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इसे क्षेत्रीय बैंकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा सके।

   (कार्रवाई–निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना)
3. एस० एल० बी० सी० के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि Dairy अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 31.03.18 तक 3178 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या 231055 तथा राशि 1586.50 करोड़ रूपया है। निदेशक, गव्य विकास द्वारा गव्य विकास योजना अन्तर्गत Model guide line विभाग के website पर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा डेयरी योजना अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदनों की सूची एस० एल० बी० सी० को भेजने का निदेश दिया गया ताकि एस० एल० बी० सी० के स्तर से इसकी समीक्षा की जा सके।

   (कार्रवाई–निदेशक, गव्य, बिहार, पटना)
4. निदेशक, मत्स्य, बिहार द्वारा बताया गया कि Fishery से सम्बन्धित विगत तीन वर्षों का Bankwise/Branchwise ऋण की स्वीकृति हेतु लम्बित 106 आवेदनों की सूची एस० एल० बी० सी० को उपलब्ध करा दिया गया है। परन्तु कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एस० एल० बी० सी० से बैंकों के website पर इसे डालने का अनुरोध किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा Dairy, Fishery, Poultry अन्तर्गत योजनाओं का दिशा निर्देश (guideline) एस० एल० बी० सी० को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इसे क्षेत्रीय बैंको को भेजा जा सके।

   (कार्रवाई– निदेशक, पशुपालन / निदेशक, गव्य, निदेशक, मत्स्यपालन, बिहार, पटना)
5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नबार्ड के प्रतिनिधि से बैंक अधिकारियों / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत करने तथा योजनाओं के सम्बन्ध में Power Point Presentation करने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई– मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, पटना)
6. निदेशक, मत्स्यपालन द्वारा बताया गया कि एस० एल० बी० सी० से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.12.17 तक Fishery Units के अन्तर्गत 535 आवेदकों को 1575 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषकों को उपलब्ध कराए गए ऋण का अनुदान राशि का दावे(claim) प्रस्तुत करने हेतु एस० एल० बी० सी० से अनुरोध किया गया था परन्तु अबतक claim प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना अन्तर्गत राशि खर्च नहीं हो रही है तथा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में परेशानी हो रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा वर्ष 2017–18 में 31 मार्च 2018 तक Fishery योजना अन्तर्गत कृषकों को उपलब्ध कराए गए ऋण के अनुसार अनुदान राशि का claim पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने

हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया ताकि किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। मत्स्यपालन अन्तर्गत हैचरी के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। बैंकों से अनुदान claim की सूचना प्राप्त नहीं होने पर इसकी सूचना CMD ग्रामीण स्टेट बैंक के गवर्नर को देने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना)

7. निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10.07.2018 को कृषकों के साथ Fishery पर एक सम्मेलन आयोजित करने की सूचना दी गई

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2836 दिनांक : 22-5-18

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई –1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पांचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला, डाक बंगला रोड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2836 दिनांक : 22-5-18

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि०, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2836 दिनांक : 22-5-18

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांख्यिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना /सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2836 दिनांक : 22-5-18

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।